



उद्धरण खतौनी



उद्धरण क्रमांक : 143546202601697

ग्राम क्रमांक : 143546										ग्राम का नाम (परामा) : सेंवई (बिजनौर)										तहसील : सरोजनी नगर										जनपद : लखनऊ										फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023)										भाग : 1										(1) खाला संख्या : 00233																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमियों के अधिकार में हो																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :
(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति
(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :
(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :
(19)अभ्युक्ति :
पूर्व आदेशों का विवरण
1) आदेश न्यायालय अति. कलेक्टर (प्र.श्रे.)/उप जिलाधिकारी सरोजनी नगर, लखनऊ वाद सं.03/2015-16 धारा143 उ.प्र. जमी.वि.एवं भू. व्य.अधि.ग्राम सेवई की खतौनी वर्ष 1419-1424 के खाता सं. 51 की गाटा सं.406भि/0.1520,411भि/0.1070,427सं/0.084हे. व खसरा सं. 416/0.1950हे.
2) कुल रकबा 0.5380हे. मा.गु. 60ख को अकृषिक घोषित किया जाता है अन्य नियमों व मास्टर प्लान पर प्रभाव नहीं होगा इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना 2021 के अनुसार अनुमन्य हो यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि,मत्स्य पालन कुक्कुट पालन बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु
3) उपयोग किया जाता है तो धारा 144 ज.वि.एवं भू.व्य. अधि. के तहत तहसीलदार को आख्या प्रस्तुत करेंगे पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य कभी भी अविविधक एवं फर्जी पाये जाने पर आदेश स्वतः निस्स माना जाएगा ह.र.का. 30.1.16
4) आदेश न्यायालय उपजिलाधिकारी/सहा.कले. (प्र.श्रे.) सदर लखनऊ वाद सं. 513/14-15 शीतला इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा.लि. बनाम उ.प्र. सरकार धारा 143 जेड.ए.एल.आर. एक्ट ता.फै. 19.2.15 ग्राम सेवई परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ की भूमि खसरा सं. 440/0.253 हे., 413/0.330 हे., 433/0.266 हे., 405/
5) 0.076 हे. कुल 4 किता कुल रकबा 0.925 हे. पूर्ण व 404/0.436 हे., 400/0.021 हे., 407/0.167 हे., 439/0.185 हे. कुल 4 किता कुल रकबा 0.809 हे. में से रकबा 0.4045 हे., 445/0.299 हे. पूर्ण व 419/1/0.038 हे., 437/0.190 हे. कुल 2 किता कुल रकबा 0.228 हे. रकबा 1.8566 हे. भूमि को
6) कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन की भूमि (अकृषिक) घोषित किया जाता है यह घोषणा केवल राजस्व की दृष्टि से की जा रही है, अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नहीं होगा इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना 2021 के अनुसार ही अनुमन्य होगा ह.र.का. 30.3.15
7) न्यायालय अति0कलेक्टर (प्र0श्रे0)/ उपजिलाधिकारी सरोजनीनगर लखनऊ वाद संख्या 05/2015-16 धारा 143 उ.प्र.ज.वि.एवं भू.व्य.अधि. उमेश कुमार बनाम उ.प्र. सरकार आदेश दिनांक 29.01.16 खातेदार उमेश कुमार पुत्र स्व. श्रीपाल के नाम दर्ज ग्राम सेवई परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर लखनऊ की खसरा संख्या 396सं./1.0120, खसरा संख्या 414/0.0250हे. मा.गु.60ख को अकृषिक घोषित किया जाता हैयह घोषणा मात्र मालगुजारी की दृष्टि से की जा रही हैअन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना 2021 के अनुसार अनुमन्य होगा यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि ,मत्स्य पालन ,कुक्कुट पालन , बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु उपयोग किया जाता है तो धारा 144 ज.वि.एवं भू.व्य.अधि.के तहत तहसीलदार आख्या प्रस्तुत करेंगेपत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य कभी भी अविविधक एवं फर्जी पाये जाने पर आदेश ्वतः निस्स माना जायेगाह.र.का./30.1.16 न्यायालय अति.कलेक्टर (प्र.श्रे.)/ उपजिलाधिकारी सरोजनीनगर लखनऊ वाद संख्या 05/2015-16 धारा 143उ.प्र.ज.वि.एवं भू.व्य.अधि. उमेश कुमार बनाम उ.प्र.सरकार आदेश दिनांक02.0316 ग्राम सेवई परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर लखनऊ भूमि से सम्बन्धित वाद धारा 166/167 ज.वि. एवं भू.व्य. अधिनियम के तहत न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण उक्त वाद में दि. 29.01.16 को पारित आदेश निस्स किया जाता है ह.र.का. 14.03.16 न्यायालय अति.कलेक्टर (प्र.श्रे.)/ उपजिलाधिकारी सरोजनी नगर लखनऊ वाद संख्या 05/2015-16धारा143उ.प्र.ज.वि. एवं भू.व्य.अधि.उमेश कुमार बनामउ.प्र. सरकार आदेश दिनांक01.02.16 ग्राम सेवईपरगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर लखनऊ की गाटा सं.396सं/1.0120हे. व गाटा सं.414/0.025हे. को अकृषिक घोषित किये जाने सम्बन्धी आदेश दि.29.01.16 वापस लिया जाता है ह.र.का. 04.04.16
Data Digitally Signed by:INDAL PAL(REVENUE KANOONGO) दिनांक/समय/स्थान: 31-01-2026 01:54:54 लखनऊ : सरोजनी नगर यह उपर्युक्त खतौनी इलेक्ट्रॉनिक दिवलीनरी सिस्टम द्वारा केवल की गयी है तथा वास्तविक दिवलीनरी सिस्टम द्वारा प्रत्यापित है। मुद्रित कर्ता : AJAY SHUKLA लखनऊ : सरोजनी नगर मुद्रित दिनांक एवं समय: 31-01-2026 01:54:54 Not Applicable For Online Prints उपर्युक्त खतौनी का वेबसिकेन https://upbhublekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके लिया जा सकता है। NATIONAL INFORMATION CENTRE 